कल्याणेश्वरी

बनाम

यू. ओ. आई. व अन्य

(रिट याचिका (सी) संख्या 260/2004)

12 मई, 2011

[एस.एच. कपाडिया, सीजेआई, के.एस. राधाकृष्णन और स्वतंत्र कुमार, जे जे.]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971- जनहित याचिकाकर्ता-एनजीओ और उसके अधिकारी के खिलाफ अवमानना याचिका - इस आधार पर कि उन्होंने सार्वजनिक हित की आड़ में, एक व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ दूसरे के इशारे पर याचिका दायर करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया था- कारण बताओ नोटिस जारी करना-अवमाननाकर्ताओं ने कारण बताओ नोटिस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर शायद ही कोई विवाद किया हो - अवमाननाकर्ताओं ने केवल अपने कार्यों और चूक के लिए बिना शर्त माफी मांगने का प्रयास किया - अभिनिर्धारित किया गया: हालांकि बिना शर्त माफी मांगी गई थी लेकिन अवमाननाकर्ताओं की सद्भावना और मंशा इस तरह की माफ़ी मांगना (निश्चित) नहीं है-अवमाननाकर्ताओं को उनके अपमानजनक और

अवमाननापूर्ण व्यवहार के लिए दंडित किया जा सकता है, जिसने कानून और न्याय प्रशासन प्रणाली की अदालतों की गरिमा को कम कर दिया और उन पक्षों के अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिन्हें जनहित याचिका में पक्षकार के रूप में भी शामिल नहीं किया गया था। न्याय प्रशासन द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए।

न्यायालय की अवमानना - अवमानना के लिए दंडित करने की न्यायालय की शक्ति - व्याख्या की गई।

न्यायालय की अवमानना - वे परिस्थितियाँ जहाँ न्यायालय मांगी गई माफी को अस्वीकार कर सकता है, व्याख्या की गई।

याचिकाकर्ता एनजीओ के सचिव 'बीके' ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी और प्रार्थना की थी कि प्रतिवादियों की एस्बेस्टस विनिर्माण इकाई को बंद और ध्वस्त कर दिया जाए, उक्त याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि याचिका प्रतिद्वंद्वी औद्योगिक समूहों के कहने पर दायर की गई थी और यह सद्भाविक नहीं थी। गुजरात उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय अंतिम रूप ले चुका था, लेकिन 'बीके' ने उक्त तथ्य की उपेक्षा करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि गुजरात उच्च न्यायालय अपना दिमाग लगाने में विफल रहा है।

इस न्यायालय ने कुछ निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया।

रिट याचिका का निपटारा करने के अलावा, न्यायालय ने याचिकाकर्ता एनजीओ और उसके अधिकारियों के अवमाननापूर्ण व्यवहार पर भी ध्यान दिया और याचिकाकर्ता एनजीओ और उसके सचिव 'बीके' को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में कारण बताओ नोटिस जारी किया, कि कारण दर्शित करें कि उनके विरूद्ध न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही क्यों न की जाए। 'बीके' ने याचिकाकर्ता एनजीओ के साथ-साथ खुद की ओर से एक प्रतिक्रिया हलफनामा दायर किया और बिना शर्त माफी मांगी और अवमानना कार्यवाही को समाप्त करने की प्रार्थना की।

न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी करते हुए-

अभिनिर्धारित किया: 1.1 कार्यवाही के शुरुआत में भी मांगी गई माफ़ी सद्भाविक होनी, इसमें अवमाननाकर्ता की ओर से पश्चाताप और गंभीर खेद प्रदर्शित होना चाहिए, ऐसा न हो कि मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों द्वारा या अन्यथा न्याय प्रशासन को प्रतिरक्षा के साथ गंभीर रूप से बाधित होने की अनुमति दी जाए। ऐसी माफी जिसमें सद्भाविकता का अभाव हो और जिसका उद्देश्य न्यायालय के आदेशों के ऐसे घोर उल्लंघन और न्याय प्रशासन के अनादर के संभावित परिणामों से

बचने के गुप्त उद्देश्य से कानून की प्रक्रिया को बाधित करना हो, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 6] [782-एच; 783-ए-सी]

प्रेम सुराना बनाम अतिरिक्त मुन्सिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट (2002) 6 एससीसी 722: 2002 (1) पूरक। एससीआर 524 संदर्भित किया गया।

1.2 परिणाम चाहे जो भी हों, कानून का शासन कायम रखना होगा। 'लोगों का कल्याण' सर्वोच्च कानून है और यह 'कानून' के आदर्श को पर्याप्त रूप से प्रतिपादित करता है। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब न्याय विधिपूर्वक, विवेकपूर्ण ढंग से, बिना किसी डर के और बेईमान तत्वों द्वारा बाधित या दबाए बिना किया जाए। न्याय प्रशासन न्यायालय के आदेशों के पालन या क्रियान्वयन पर निर्भर है। अवमाननापूर्ण कृत्य जो एक ओर न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और दूसरी ओर न्याय संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, दूसरी और आम लोगों की नजर में इसके सम्मान को कम करता है, ऐसे कार्य हैं जो उन मामलों की श्रेणी में नहीं आते हैं जहां न्यायालय अवमाननाकर्ता की माफी स्वीकार कर सकता है, भले ही वह कार्यवाही की शुरुआत में ही मांगी गई हो। [पैरा 7] [783-डी-एफ]

अलीगढ म्युनिसिपल बोर्ड बनाम एक्का टोंगा मजदूर संघ (1970) 3 एससीसी 98; एम.वाई. शरीफ बनाम नागपुर उच्च न्यायालय के

माननीय न्यायाधीश एआईआर 1955 एससी 19: 1955 एससीआर 757; एल.डी. जैकवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1984) 3 एससीसी 405: 1984 (3) एससीआर 833; महाधिवक्ता, बिहार राज्य बनाम मेसर्स मध्य प्रदेश खैर इंडस्ट्रीज (1980) 3 एससीसी 311- संदर्भित किया गया।

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी 8 वां संस्करण, 1999 - संदर्भित किया गया।

1.3 न्यायिक प्रणाली के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाने को हमेशा हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कथित तौर पर जनहित के नाम पर संवैधानिक न्यायालयों के असाधारण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करना और इसे न्याय संस्थान की गरिमा को कम करने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करना एक ऐसा कार्य है जो अवमाननापूर्ण होने के साथ-साथ अवांछनीय भी है। [पैरा 13] [785-ए-बी]

एम.बी. सांघी एडवोकेट बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (1991) 3 एससीसी 600: 1991 (3) एससीआर 312- पर भरोसा किया गया।

2.1 वर्तमान मामले में, अवमाननाकर्ता ने निश्चित रूप से याचिका दायर करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है

सार्वजनिक हित की आड़ में, एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ दूसरे के इशारे पर। इस न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर की गई रिट याचिका स्पष्ट रूप से एस्बेस्टस और इसके उत्पादों के खनन, निर्माण

और उत्पादन से संबंधित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन में बाधाएं पैदा करने के इरादे से दायर की गई थी, जो कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किये बिना अपना संचालन कर रही हैं। [पैरा 15] [785- एफ-जी]

*उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र बनाम भारत संघ (1995)एससीसी 42: 1995 (1) एससीआर 626; बी.के. शर्मा बनाम भारत संघ AIR 2005 गुजरात 203- संदर्भित किया गया।

2.2 प्रतिवादी-अवमाननाकर्ताओं ने, अपने उत्तर-हलफनामे में, इस न्यायालय द्वारा उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में की गई टिप्पणियों पर शायद ही कोई विवाद किया हो। उन्होंने केवल अपने विभिन्न कृत्यों और चूकों के लिए बिना शर्त माफी मांगने का प्रयास किया है। इस तरह की माफी मांगने में उत्तरदाताओं की सद्भावना और मंशा निश्चित नहीं है। तत्काल मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स और प्रतिवादी-अवमाननाकर्ताओं के आचरण की जांच, विशेष रूप से उनके द्वारा दायर उत्तर, यह अस्पष्टता से परे रखता है कि उन्होंने जानबूझकर निम्नलिखित कार्य और चूक की है, जिसने इस न्यायालय और न्याय वितरण प्रणाली की गरिमा को कम कर दिया है।

(ए) अवमाननाकर्ताओं ने कानून की प्रक्रिया का इस हद तक दुरुपयोग किया है कि इसने न्याय वितरण प्रणाली की गरिमा को प्रभावित

किया है और साथ ही अन्य निजी पक्षों के अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

(बी) अवमाननाकर्ताओं ने न्यायालय से उन महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा लिया है जो उनकी व्यक्तिगत जानकारी में थे। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए, वे कुछ हद तक समान राहतों के साथ सार्वजनिक हित के नाम पर याचिकाओं के बाद याचिकाएं दायर करने पर भी अड़े रहे हैं।

(सी) अवमाननाकर्ता ने बिना किसी कानूनी उचित कारण के उच्च न्यायालय के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां और बयान दिए।

(डी) अवमाननाकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका में सद्भाविकता का अभाव है और वास्तव में, यह एक प्रतिद्वंद्वी औद्योगिक समूह के कहने पर दायर की गई थी, जो इस न्यायालय से कुछ आदेश और निर्देश प्राप्त करके एस्बेस्टस और उसके उत्पादों के खनन और विनिर्माण की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने का एक निश्चित प्रयास किया गया था। अवमाननाकर्ताओं द्वारा कास्ट और लचीले लोहे के उत्पादों की मांग बढ़ाने के अंतिम इरादे से इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का एक निश्चित प्रयास किया गया था क्योंकि यह रिकॉर्ड में आया है कि वे एस्बेस्टस के कुछ उपयुक्त विकल्प हैं। इस प्रकार, यह अदालती प्रक्रिया के माध्यम से एस्बेस्टस के उद्योग को औद्योगिक असंतुलन और वित्तीय नुकसान पहुंचाने के गुप्त उद्देश्य से मुकदमेंबाजी शुरू की गई थी।

(ई) अवमाननाकर्ता ने या तो गलत तथ्यों के साथ या ऐसे तथ्यों के साथ याचिकाएं और हलफनामे दायर किए हैं जो अवमाननाकर्ता की जानकारी में भी सत्य नहीं थे। [पैरा 3 और 22] [702-बी-सी; 787-जी-एच; 788-ए-एच; 789-ए-सी]

2.3 न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि ऐसे मुकदमे के कारण को समाप्त करना न्यायालयों का कर्तव्य है। कहावत जस्टिटिया इस्ट डुप्लेक्स, अर्थात, गंभीर पुनिएन्स, एट वेरे प्रैवेनिएन्स, अपने गुणों के कारण न्यायालयों पर एक ओर गंभीर दंड के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और दूसरी ओर अंतिम उद्देश्य के साथ अपराध को वास्तव में और कुशलता से रोकने का दोहरा दायित्व लगाती है। कानून की गरिमा बनाए रखने की दूसरे शब्दों में, न्यायालय को अवमाननाकर्ताओं द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा की मात्रा को संतुलित करना होगा। उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष भी अवमाननाकर्ताओं का बार- बार अवमाननापूर्ण व्यवहार निश्चित रूप से इसकी निंदा की जानी चाहिए और कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। भले ही कुछ हद तक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए, फिर भी यह सुनिश्चित करना इस न्यायालय का कर्तव्य है कि इस तरह की बेईमान और अवांछनीय जनहित याचिकाएं अदालतों में दायर न की जाएं ताकि अदालतों का बहुमूल्य समय बर्बाद हो और साथ ही न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहे। [पैरा 23] [789-डी-एफ]

2.4 जब अवमाननाकर्ताओं को सज़ा की मात्रा पर सुना गया तो पुनः माफ़ी मांगी, लेकिन अवमाननाकर्ताओं द्वारा आदेश दिनांक 21 जनवरी 2011 को कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर और यहां तक कि उनके कारण बताओ नोटिस के जवाब शपथ पत्र में अस्वीकार कर दिया गया और इसमें कोई भी अपमानजनक व्यवहार नहीं बताया गया। सभी प्रासंगिक कारकों और अवमाननाकर्ताओं के आचरणपर उचित विचार किया गया। अवमाननाकर्ताओं को उनके अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार के लिए दंडित किया जा सकता है। जिससे उन्होंने कानून और न्याय प्रशासन प्रणाली के न्यायालय और उसकी प्रकार वास्तव में तीसरे पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उन्हें जनहित याचिका में पक्षकार के रूप में भी शामिल नहीं किया गया था, की गरिमा को ठेस पहुंचाई। इस न्यायालय के बहुमूल्य समय जो अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों और लंबित मामलों को निपटाने में समर्पित किया जा सकता था। [पैरा 24 और 25] [789-जी-एच; 790-ए-सी]

2.5 अवमाननाकर्ता को इस न्यायालय के उठने तक साधारण कारावास की सजा दी जाती है। अवमाननाकर्ताओं पर 2,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है, जिसे आज से एक सप्ताह के भीतर भुगतान करना होगा। अदम अदायगी में उसे एक सप्ताह की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा। अवमाननाकर्ताओं पर एस.सी. कानूनी सेवा समिति को भुगतान करने के लिए रु. 1,00,000/- का जुर्माना लगाया जाता है।

एनसीटी दिल्ली सरकार के समितियों के पंजीयक को अवमाननाकर्ता समिति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है और अपनी कार्यवाही रिपोर्ट, अंतरिम या अंतिम, आज से छह सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को प्रस्तुत करें, [पैरा 26] [790-डी-जी]

मामला कानून संदर्भः

[2002] 1 पूरक। एससीआर 524 संदर्भित किया गया। पैरा 6

(1970) 3 एससीसी 98 संदर्भित किया गया। पैरा 10

[1955] एससीआर 757 संदर्भित किया गया। पैरा 11

[1984] 3 एससीआर 833 पर विश्वास किया गया। पैरा 12

[1991] 3 एससीआर 312 संदर्भित किया गया। पैरा 13

[1995] 1 एससीआर 626 संदर्भित किया गया। पैरा 16

ए. आई. आर. 2005 गुज 203 संदर्भित किया गया। पैरा 17

(1980) 3 एस. सी. सी. 311 संदर्भित किया गया। पैरा 21

दीवानी मूल क्षेत्राधिकार स्वप्रेरण अवमानना याचिका (सी) संख्या 260/2004।

याचिकाकर्ता की ओर से आशीष मोहन, के. के. मोहन।

एच. पी. रावल, मोहन परासरन, ए. एस. जी., हरीश चंद्र, एस. डब्ल्यू. ए. कादरी, रेखा पांडे, एस. एस. रावत, मुकेश वर्मा, सायमा बख्शी, वरुणा भंडारी गुगनानी, डी. के. ठाकुर, सी. के. शर्मा, अनिल कटियार, ए. के. शर्मा, डी. एस. मेहरा अयाचीकर्ता की और से।

न्यायालय का निर्णय स्वतंत्र कुमार, जे. द्वारा दिया गया था।

1. हमारे दिनांकित विस्तृत आदेश में 21 जनवरी, 2011 से, पैराग्राफ 16 में निहित निर्देशों के साथ 2004 की रिट याचिका संख्या 260 का निपटारा करने के अलावा याचिकाकर्ता एन. जी. ओ. और उसके अधिकारियों याचिकाकर्ता कल्याणेश्वरी और उसके सचिव श्री बी. के. शर्मा, को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो इस प्रकार हैः

"याचिकाकर्ता, विशेष रूप से, बी.के. शर्मा के आचरण को ध्यान में रखते हुए, हम उन्हें और साथ ही याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करते हैं कि वे कारण बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही शुरू की जाए और/या इसके अलावा/ विकल्प, क्यों न उन पर अनुकरणीय जुर्माना लगाया जाए। इसके अलावा, हम याचिकाकर्ता से यह भी पूछते हैं कि वह कारण बताएं कि रजिस्ट्रार, एनसीटी सरकार, दिल्ली को कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश क्यों न दिया जाए।"

2. इस कारण बताओ नोटिस के जवाब में श्री बी.के. शर्मा ने कल्याणेश्वरी और स्वयं की ओर से 22 मार्च, 2011 को एक जवाबी हलफनामा दायर किया था। यह सात पैराग्राफों का एक बहुत संक्षिप्त हलफनामा है जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी बिना शर्त माफी मांगी है और इस न्यायालय के समक्ष अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही शुरू न करने और अधिरोपित जुर्माना की कार्यवाही समाप्त करने तथा एनजीओ कल्याणेश्वरी का लाइसेंस और पंजीकरण प्रतिसंहरण करने की प्रार्थना की है। उक्त हलफनामे का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"2. वह अभिसाक्षी इस माननीय न्यायालय से उन सभी कार्यों के संबंध में हाथ जोड़कर बिना शर्त माफी मांगता है जिनके संबंध में इस माननीय न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि याचिकाकर्ता और अभिसाक्षी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही क्यों न की जावे और इसके अलावा उन पर अनुकरणीय जुर्माना क्यों न लगाया जाए और उनका लाइसेंस रद्द/निरस्त क्यों न किया जाए।

3. वह अभिसाक्षी विशेष दीवानी आवेदन संख्या 14460, 14813 और 14819 वर्ष 2004 शीर्षक में बी.के. शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य एआईआर 2005 गुजरात पृष्ठ 203 में रिपोर्ट किया गया। माननीय उच्च न्यायालय गुजरात के दिनांक 9.12.2004 के निर्णय के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए प्रत्येक दावे और आरोप को बिना शर्त वापस लेता है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में दायर हलफनामे में की गई सभी दलीलें वापस ले लीं। आदेश के साथ-साथ सभी परिणामी कार्यवाहियों के जवाब में अभिसाक्षी के माध्यम से आवेदन किया।"

3. इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुरुआती चरण में ही, उत्तरदाताओं ने माफी मांग ली है और अवमानना कार्यवाही काे रद्द करने की प्रार्थना की है। हम इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि इस तरह की माफ़ी मांगने में उत्तरदाताओं की सद्भाविकता और मंशा क्या है। किसी न्यायालय द्वारा अवमानना कार्रवाई में माफी स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी माफी सद्भाविक हो और उस आचरण के लिए वास्तविक पश्चाताप हो जिसके कारण अवमानना कार्यवाही शुरू की गई। इसके अलावा, आचरण ऐसा होना चाहिए जिसे न्यायालय की गरिमा से समझौता किए बिना नजरअंदाज किया जा सके। 'अवमानना' किसी अवमाननाकर्ता का उच्छृंखल आचरण है जो न्याय प्रशासन की संस्था को गंभीर क्षति पहुंचाता है। इस तरह के आचरण को, इसके प्रतिकूल प्रभावों और परिणामों के संदर्भ में, स्पष्ट रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: एक जिसका सिस्टम और/या संबंधित व्यक्ति पर क्षणिक प्रभाव पड़ता है और समय बीतने के साथ समाप्त होने की संभावना है, जबकि दूसरे न्याय संस्था और प्रशासन को स्थायी क्षति का कारण बनता है, बाद वाला आचरण सामान्यतः अक्षम्य होगा।

4. जनता और न्याय प्रशासन के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका में जो संस्थागत सहिष्णुता है, उसे सिस्टम की कमजोरी के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। कानून की उदारता को बनाए

रखना न्याय की धुरी है। इसलिए, कुछ मामलों में, न्यायालय के लिए क़ानून की कठोरता का सहारा लेना अपरिहार्य होगा।

5. यह अवमाननाकर्ताओं के गैर-जिम्मेदाराना कृत्यों की गंभीरता और न्याय की संस्था और प्रशासन को हुए नुकसान की डिग्री है जो निर्णायक रूप से यह निर्धारित करेगी कि न्यायालय को क्या रास्ता अपनाना चाहिए, यानी या तो अवमानना कार्यवाही छोड़ देनी चाहिए या अवमाननाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही जारी रखनी चाहिए।

6. कार्यवाही की शुरुआत में भी मांगी गई माफ़ी सद्भाविक होनी चाहिए, इसमें निंदा करने वाले की ओर से पश्चाताप और गंभीर खेद प्रदर्शित होना चाहिए, ऐसा न हो कि न्याय प्रशासन को प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों द्वारा प्रतिरक्षा के साथ गंभीर रूप से बाधित करने की अनुमति दी जाए। मुकदमेबाजी या अन्यथा. ऐसी माफी जिसमें सद्भाविकता का अभाव हो और जिसका उद्देश्य न्यायालय के आदेशों के ऐसे घोर उल्लंघन और न्याय प्रशासन के अनादर के संभावित परिणामों से बचने के गुप्त उद्देश्य से कानून की प्रक्रिया को बाधित करना हो, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रेम सुराणा बनाम अतिरिक्त मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट [(2002) 6 एससीसी 722] के मामले में इस न्यायालय ने एक अवमाननाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई, जिसने खुली अदालत में पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मारा था और कहा कि "न्यायिक अधिकारी के चेहरे पर तमाचा है।" वास्तव में देश में न्याय वितरण प्रणाली के चेहरे पर एक तमाचा है और ऐसे में किसी माफी या वचन को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता और न ही उठ सकता है, न ही सजा के संबंध में किसी तरह की नरमी का कोई सवाल हो सकता है।"

7. चाहे परिणाम कुछ भी हों, कानून का शासन कायम रखना होगा. 'लोगों का कल्याण' सर्वोच्च कानून है और यह 'कानून' के आदर्श को पर्याप्त रूप से प्रतिपादित करता है। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब न्याय विधिपूर्वक, विवेकपूर्ण ढंग से, बिना किसी डर के और बेईमान तत्वों द्वारा

बाधित या दबाए बिना किया जाए। न्याय प्रशासन न्यायालय के आदेशों के पालन या क्रियान्वयन पर निर्भर है। अवमाननापूर्ण कृत्य जो एक ओर न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है और दूसरी ओर न्याय संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, आम लोगों की नजर में इसके सम्मान को कम करता है, ऐसे कार्य हैं जो उन मामलों की श्रेणी में नहीं आते हैं जहां न्यायालय अवमाननाकर्ता की माफी स्वीकार कर सकता है, भले ही वह कार्यवाही की शुरुआत में ही मांगी गई हो।

8. द ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी (8 वां संस्करण, 1999) 'अवमानना' को इस प्रकार परिभाषित करता है, "ऐसा आचरण जो न्यायालय या विधायिका के अधिकार या गरिमा की अवहेलना करता है।" इसमें यह भी कहा गया है कि "क्योंकि ऐसा आचरण न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है, इसलिए यह दंडनीय है।"

9. इस विशेष क्षेत्राधिकार को निर्विवाद रूप से तब लागू किया जाना चाहिए जब न्याय के प्रशासन की प्रणाली को नष्ट करने की कीमत पर अवमाननाकर्ता द्वारा जानबूझकर अपमानजनक कार्य किए जाते हैं, जिसे प्रारंभिक चरण में ही खारिज किया जाना आवश्यक है।

10. अलीगढ म्युनिसिपल बोर्ड बनाम एक्का टोंगा मजदूर संघ [(1970) 3 एससीसी 98] के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि यह अवमाननाकर्ताओं के गैर-जिम्मेदाराना कृत्यों की गंभीरता और न्याय

प्रशासन को हुए नुकसान की डिग्री है। जो निर्णायक रूप से यह निर्धारित करेगा कि मामले को आपराधिक अवमानना के रूप में चलाया जाना चाहिए या नहीं।

11. एम.वाई. शरीफ बनाम नागपुर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश [एआईआर 1955 एससी 19], के मामले में इस न्यायालय ने वास्तविक माफी की आवश्यकताओं को समझाते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

> "45...न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही में माफी के संबंध में, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि माफी अपने अपराध के दोषियों को शुद्ध करने के लिए बचाव का एक हथियार नहीं है; न ही इसका उद्देश्य सार्वभौमिक के रूप में कार्य करना है, रामबाण, लेकिन इसका उद्देश्य वास्तविक पश्चताप का प्रमाण होना है।"

12. इसी तरह की टिप्पणियाँ इस न्यायालय द्वारा एल.डी. के मामले में भी की गईं। जैकवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1984) 3 एससीसी 405], जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

> "6. हमें नहीं लगता कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता ने माफी मांग ली है, हमें सजा को रद्द कर देना चाहिए और उसे सजा से मुक्त होने देना चाहिए। अन्यथा, एक

न्यायाधीश के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप लगाकर उसे डराने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को यह सब करना होगा , आगे बढ़ना है और उसे बदनाम करना है, और बाद में एक औपचारिक खोखली माफी मांगना है जिसमें उसे व्यावहारिक रूप से कुछ भी खर्च नहीं होता है। यदि ऐसी माफी को एक नियम के रूप में स्वीकार किया जाता है, और अपवाद के रूप में नहीं, तो हम वास्तव में अदालतों को बदनाम करने और दंडमुक्ति के साथ अदालत की अवमानना करने का एक "लाइसेंस"..... जारी कर रहे होंगे"

13. न्यायिक प्रणाली के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाने को हमेशा हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कथित तौर पर जनहित के नाम पर संवैधानिक न्यायालयों के असाधारण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करना और इसे न्याय संस्था की गरिमा को कम करने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करना एक ऐसा कार्य है जो अवमाननापूर्ण होने के साथ-साथ अवांछनीय भी है। इस न्यायालय ने एम.बी. सांघी एडवोकेट बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय [(1991) 3 एससीसी 600], के मामले में वांछित आदेश प्राप्त करने में विफल रहने वाले असंतुष्ट तत्वों द्वारा न्यायिक अधिकारियों की प्रतिष्ठा को खराब करने की बढ़ती प्रवृत्ति के प्रति आगाह किया है। यह देखते हुए कि अब समय आ गया है कि इस तरह की प्रवृत्ति को शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए, इस अदालत ने

कहा, "ऐसे कारण न केवल संबंधित न्यायाधीश, बल्कि पूरे संस्था की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले बड़े मुद्दे उठाते हैं... अब समय आ गया है कि इस तरह की प्रवृत्ति को खत्म किया जाए।" हमें एहसास है कि बहुप्रतीक्षित न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा न केवल कार्यपालिका या विधायिका से की जानी चाहिए, बल्कि उन लोगों से भी की जानी चाहिए जो व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं।"

14. हमने इस न्यायालय के 21 जनवरी, 2011 के आदेश के पैराग्राफ 16 में दिए गए निर्देशों के बावजूद अवमाननाकर्ताओं के कठोर रवैये को इंगित करने के इरादे से इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख किया है। अवमानना करने वालों की इस तरह की अवमाननापूर्ण हरकतें समय के साथ कम करने की बजाय बढ़ती गई है।

15. वर्तमान मामले में, श्री बी.के. शर्मा ने निश्चित रूप से जनहित की आड़ में एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ दूसरे के इशारे पर याचिकाएं दायर करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। इस न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर की गई रिट याचिका स्पष्ट रूप से एस्बेस्टस और इसके उत्पादों के खनन से विनिर्माण और उत्पादन से संबंधित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन में बाधाएं पैदा करने के इरादे से दायर की गई थी, जो किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किये बिना कानून के अनुसार अपना संचालन कर रही हैं।

16. उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र बनाम भारत संघ [(1995) 3 एससीसी 42} के मामले में इस न्यायालय ने इसके संबंध में निर्देश देते हुए एक विस्तृत निर्णय सुनाया था।

एस्बेस्टस और उसके उत्पादों के विनिर्माण और उत्पादन में लगी इकाइयों के संचालन से संबंधित विभिन्न मामले। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में एक विधेयक राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में पहले ही दिए गए विस्तृत निर्देशों और संसद के समक्ष एक विधेयक पेश करने के बावजूद, श्री बी.के. व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता को निपटाने के उद्देश्य से एस्बेस्टस उद्योग को गैरकानूनी रूप से बंद करने के लिए एस्बेस्टस के विनिर्माण, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रार्थना करने वाली याचिकाओं के बाद शर्मा लगातार याचिकाएं दायर करते रहे।

17. श्री. बी.के. शर्मा ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक बी.के. शर्मा बनाम भारत संघ, [एआईआर 2005 गुजरात 203] रिट याचिका दायर की थी। जिसमें उस मामले में प्रतिवादी संख्या 5 मैसर्स सोपाई लिमिटेड को अपनी एस्बेस्टस उत्पादन इकाई का निर्माण पूरा करने से लेकर किसी भी गतिविधि को आगे बढ़ाने तक रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया था, वास्तव में, यह प्रार्थना की गई थी कि उनके द्वारा किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाए जिसे गुजरात उच्च न्यायालय

ने अस्वीकार कर दिया था। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी उस एस्बेस्टस विनिर्माण इकाई को बंद करने की प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और विशिष्ट शब्दों में कहा कि याचिका प्रतिद्वंद्वी औद्योगिक समूहों के इशारे पर दायर की गई थी और इसमें सद्भाविकता का अभाव है।

18. श्री बी.के. शर्मा ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि गुजरात उच्च न्यायालय का यह निर्णय संपूर्ण तथ्यात्मक आधार पर अंतिम रूप ले चुका है, इस न्यायालय के समक्ष 2004 की रिट याचिका संख्या 260 दायर की और गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कराने कोशिश करते हुए कहा, "गुजरात उच्च न्यायालय अपना दिमाग लगाने में विफल रहा"। एक संवैधानिक न्यायालय के फैसले के खिलाफ इस तरह का गैरजिम्मेदाराना बयान देने के अलावा, श्री बी.के. शर्मा यह बताने और स्पष्ट करने में बुरी तरह विफल रहे कि उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र (सुप्रा) के मामले में इस अदालत के फैसले के विरोध में वर्तमान याचिका क्यों दायर की गई थी।

19. श्री बी.के. शर्मा इस न्यायालय के समक्ष गलत हलफनामा दायर करने की हद तक चले गए और न्यायालय को 27 अगस्त, 2010 को एक आदेश पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उक्त निर्णय में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में अपने आचरण की व्याख्या करने के लिए उन्हें निर्देश दिया गया था।

20. विभिन्न अवसरों पर कई उत्तरदाताओं द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि वर्तमान रिट याचिका दायर करने का पूरा उद्देश्य एस्बेस्टस के खनन और विनिर्माण पर प्रतिबंध लगाना था, जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से कास्ट और नमनीय लोहा की मांग में वृद्धि होगी। क्योंकि वे एस्बेस्टस के लिए उपयुक्त विकल्प हैं। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका और साथ ही यह याचिका कच्चा और नमनीय लौहा उत्पादों के उत्पादन में लगे औद्योगिक समूह के आदेश पर दायर की गई है।

21. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अवमानना मुख्य रूप से न्यायालय और अवमाननाकर्ता के बीच का मामला है। न्यायालय को अवमाननाकर्ता के व्यवहार, संबंधित परिस्थितियों और न्याय वितरण प्रणाली पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखना होगा। यदि अवमाननाकर्ता का आचरण ऐसा है कि यह न्याय वितरण प्रणाली को बाधित करता है और साथ ही न्यायालयों की गरिमा को कम करता है, तो न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे आगे संस्थागत क्षति को रोकने और न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास की रक्षा के लिए कुछ कठोर दृष्टिकोण अपनाएं। महाधिवक्ता, बिहार राज्य बनाम मेसर्स मध्य प्रदेश खैर इंडस्ट्रीज [(1980) 3 एससीसी 311], के मामले में इस न्यायालय ने यह विचार किया कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग, न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम या न्याय के व्यवस्थित प्रशासन में बाधा डालने के लिए,

अदालत की अवमानना है। जहां आचरण निंदनीय है और निंदा की आवश्यकता है, तो न्यायालय को अनिवार्य रूप से ऐसी अवमानना कार्यवाही को उसके तार्किक अंत तक ले जाना चाहिए। न्याय प्रणाली की संस्था को चोट पहुँचाने की कीमत पर न्यायालय द्वारा दया नहीं दिखाई जा सकती।

22. प्रतिवादी-अवमाननाकर्ताओं ने, अपने उत्तर-शपथपत्र में, उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर शायद ही कोई विवाद किया हो। उन्होंने केवल अपने विभिन्न कृत्यों और चूकों के लिए बिना शर्त माफी मांगने का प्रयास किया है जो निश्चित रूप से न्याय प्रशासन के लिए प्रतिकूल थे और यहां तक कि जनहित में दायर याचिका की आड़ में अन्य पक्षों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाला था। अवमाननाकर्ताओं ने 'जनहित याचिका' की आड़ में विभिन्न याचिकाएं दायर करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और देश में एस्बेस्टस उद्योग को नुकसान पहुंचाने में, कम से कम आंशिक रूप से, सफल रहे हैं। उन्होंने न्यायालय से उन तथ्यों को भी छुपाया जो उनकी व्यक्तिगत जानकारी में थे। वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स और प्रतिवादी-अवमाननाकर्ताओं के आचरण की जांच, विशेष रूप से उनके द्वारा दायर उत्तर, इसे अस्पष्टता से परे रखता है कि उन्होंने जानबूझकर निम्नलिखित कार्य और चूक किए हैं, जिससे इस न्यायालय और न्याय वितरण प्रणाली की गरिमा को नुकसान पहुंचा है।

(ए) अवमाननाकर्ताओं ने कानून की प्रक्रिया का इस हद तक दुरुपयोग किया है कि इसने न्याय वितरण प्रणाली की गरिमा को प्रभावित किया है और साथ ही अन्य निजी पक्षों के अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

(बी) अवमाननाकर्ताओं ने न्यायालय से उन महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा लिया है जो उनकी व्यक्तिगत जानकारी में थे। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए, वे कुछ हद तक समान राहतों के साथ सार्वजनिक हित के नाम पर याचिकाओं के बाद याचिकाएं दायर करने पर भी अड़े रहे हैं।

(सी) अवमाननाकर्ता, बी.के. शर्मा ने बिना किसी कानूनी उचित कारण के गुजरात उच्च न्यायालय के खिलाफ गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी और बयान दिए हैं।

(डी) अवमाननाकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका में सद्भाविकता का अभाव है और वास्तव में, यह एक प्रतिद्वंद्वी औद्योगिक समूह के कहने पर दायर की गई थी, जो इस न्यायालय से कुछ आदेश और निर्देश प्राप्त करके एस्बेस्टस और उसके उत्पादों के खनन और विनिर्माण की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने को एक निश्चित प्रयास किया गया था। अवमाननाकर्ताओं द्वारा कास्ट और लचीले लोहे के उत्पादों की मांग बढ़ाने के अंतिम इरादे से इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का एक निश्चित प्रयास किया गया था क्योंकि यह रिकॉर्ड में आया है कि वे एस्बेस्टस के कुछ उपयुक्त विकल्प हैं।

इस प्रकार, यह अदालती प्रक्रिया के माध्यम से एस्बेस्टस के उद्योग को औद्योगिक असंतुलन और वित्तीय नुकसान पहुंचाने के गुप्त उद्देश्य से मुकदमेंबाजी शुरू की गई थी।

(ई) अवमाननाकर्ता ने या तो गलत तथ्यों के साथ या ऐसे तथ्यों के साथ याचिकाएं और हलफनामे दायर किए हैं जो अवमाननाकर्ता की जानकारी में भी सत्य नहीं थे।

23. इसके बावजूद, न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि ऐसे मुकदमे के कारण को खत्म करना न्यायालयों का कर्तव्य है। कहावत जस्टिटिया इस्ट डुप्लेक्स, अर्थात, गंभीर पुनिएन्स, एट वेरे प्रैवेनिएन्स, अपने गुणों के कारण न्यायालयों पर एक ओर गंभीर दंड के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और दूसरी ओर अंतिम उद्देश्य के साथ अपराध को वास्तव में और कुशलता से रोकने का दोहरा दायित्व लगाती है। कानून की गरिमा बनाए रखने की. दूसरे शब्दों में, न्यायालय को अवमाननाकर्ताओं द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा की मात्रा को संतुलित करना होगा। गुजरात उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष अवमाननाकर्ताओं के बार-बार किए गए अपमानजनक व्यवहार की निश्चित रूप से निंदा की जानी चाहिए और कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। भले ही हम कुछ हद तक उदार दृष्टिकोण अपनाएं, फिर भी यह सुनिश्चित करना इस न्यायालय का कर्तव्य है कि इस तरह की बेईमान और अवांछनीय जनहित याचिकाएं अदालतों में दायर न की जाएं ताकि अदालतों का बहुमूल्य समय बर्बाद हो और साथ ही न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहें।

24. जब अवमाननाकर्ताओं को सज़ा की मात्रा पर सुना गया तो पुनः माफ़ी मांगी, लेकिन अवमाननाकर्ताओं द्वारा आदेश दिनांक 21 जनवरी 2011 को कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर और यहां तक कि उनके कारण बताओ नोटिस के जवाब शपथ पत्र में अस्वीकार कर दिया गया और इसमें कोई भी अपमानजनक व्यवहार नहीं बताया गया। सभी प्रासंगिक कारकों और अवमाननाकर्ताओं के आचरणपर उचित विचार किया गया। अवमाननाकर्ताओं को उनके अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार के लिए दंडित किया जा सकता है। जिससे उन्होंने कानून और न्याय प्रशासन प्रणाली के न्यायालय और उसकी प्रकार वास्तव में तीसरे पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उन्हें जनहित याचिका में पक्षकार के रूप में भी शामिल नहीं किया गया था, की गरिमा को ठेस पहुंचाई। इस न्यायालय के बहुमूल्य समय जो अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों और लंबित मामलों को निपटाने में समर्पित किया जा सकता था।

25. सभी प्रासंगिक कारकों और अवमाननाकर्ताओं के व्यवहार पर उचित विचार करने के बाद, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अवमाननाकर्ताओं को उनके अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार के लिए दंडित किया जाना चाहिए, जिसने कानून और न्याय के न्यायालयों की गरिमा को कम किया है। प्रशासन प्रणाली के साथ-साथ तीसरे पक्षों के अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिन्हें वास्तव में जनहित याचिकाओं

में पक्षकार के रूप में शामिल भी नहीं किया गया था। उन्होंने इस न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद कर दिया है जिसे लंबित मामलों और अधिक तात्कालिकता और महत्व के मामलों के निपटने में अधिक उपयोगी ढंग से समर्पित किया जा सकता था।

26. इन परिस्थितियों में, हम निम्नानुसार निर्देश देते हैं:

(1) हम अवमाननाकर्ता श्री बी.के. शर्मा को इस न्यायालय के उठने तक साधारण कारावास की सजा देने का आदेश देते हैं।

(2) हम अवमाननाकर्ताओं पर 2,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाते हैं, जिसे आज से एक सप्ताह के भीतर भुगतान करना होगा। अदम अदायगी में उसे एक सप्ताह की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा।

(3) अंत में, हम अवमाननाकर्ताओं पर एस.सी. कानूनी सेवा समिति को भुगतान करने के लिए 1,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाते हैं।

(4) हम इसके द्वारा एनसीटी दिल्ली सरकार के समितियों के पंजीयक को निर्देश देते हैं कि वे अवमाननाकर्ता- समिति, अर्थात् कल्याणेश्वरी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें और अपनी कार्यवाही रिपोर्ट, अंतरिम या अंतिम, आज से छह सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

मामला लंबित है.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल श्सुवासश् की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बलवंत सिंह भारी, आरजेएस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।